न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा।

पीठासीन अधिकारी — श्री हरिताभ कुमार आदित्य आर.ए.एस.

मु0 नं0 – 40/2019
प्रकरण दर्ज – 21.5.2019
प्रकरण निस्तारण – 8.11.2019

अनुवानी प्रकरण

भगवान सहाय उर्फ भगवान्या पुत्र जोहरी जाति माली निवासी उदयपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा (राज0)

– वादी

बनाम

1. लक्ष्मण पुत्र रामभरोसी
2. कालूराम पुत्र रामभरोसी
3. निरंजन पुत्र रामभरोसी
4. जगदीश पुत्र रामभरोसी
5. कन्हैया पुत्र रामभरोसी
6. बबली पुत्र रामभरोसी
7. रूपसिंह पुत्र रामभरोसी
   समस्त जाति माली निवासी उदयपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा (राज0)।
8. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सिकराय जिला दौसा।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा एवं दुरूस्ती इन्द्राज

निर्णय — दिनांक –8.11.2019

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं कि आराजी खसरा नंबर 323 मिन/2 रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा वाके रामा उदयपुरा तहसील सिकराय मे स्थित है। उक्त भूमि के वर्तमान खसरा नंबर 412 रकबा 0.01 हैक्टेयर व खसरा नंबर 413 रकबा 3.40 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.41 हैक्टेयर सैटलमेंट विभाग द्वारा कायम किये गये हैं। उक्त भूमि वादी के पिता व बाबा की पैतृक भूमि है। उक्त भूमि पर वादी के बाबा काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे थे। इस कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पश्चात राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 व उसके चाचा खिलाडी के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे खातेदारी दर्ज कर दी। वादी के पिता जोहरी की मृत्यु हो चुकी थी तब वादी उस समय नाबालिग था। राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादी के पिता का नाम जोहरी लिखना चाहिये था लेकिन वादी के पिता के नाम के स्थान पर वादी के बाबा गिर्राज का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर दिया। तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे वादी के पिता का नाम भी वादी का ही नाम भगवान्या कर रखा है जिसे दुरूस्त किया जाकर भगवान्या पुत्र जोहरी किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला-दौसा

Scanned by CamScanner

इस प्रकार दावा दर्ज होने पर प्रतिवादीगण की तलवी की गई। प्रतिवादीगण ने हाजिर आकर इकबालिया जवाबदावा पेश किया। साक्ष्य वादी पी डब्ल्यू 1 भगवान्या पुत्र जोहरी, पी डब्लू 2 लक्ष्मण पुत्र रामभरोसी, पी डब्लू 3 कन्हैया पुत्र रामभरोसी के बतोर साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये ।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया व बहस का मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व दस्तावेजों के आधार पर वादी का वाद साबित होने के कारण दावा स्वीकार कर वादी के पिता का नाम राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व रिकार्ड मे गलत दर्ज कर दिया है जबकि वादी के पिता का वास्तविक नाम जोहरी है जो राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ग्राम पंचायत उदयपुरा के प्रमाण पत्र आदि से भी प्रमाणित है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर भूमि वर्तमान खसरा नंबर 412 रकबा 0.01 हैक्टेयर व खसरा नंबर 413 रकबा 3.40 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.41 हैक्टेयर वाके ग्राम उदयपुरा तहसील सिकराय के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज भगवान्या पुत्र भगवान्या के स्थान पर दुरूस्ती करके भगवान्या पुत्र जोहरी दर्ज करने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार सिकराय को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 8.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, सिकराय जिला-दौसा (राज.))

अ 8/11/19

हरिताभ कुमार आदित्य
उपखण्ड अधिकारी सिकराय।
(उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Haritabh Kumar Aditya
Date: 2019.11.20 17:14:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: